पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 4941/2023

में

आपराधिक विविध संख्या 71802 वर्ष 2022

थाना कांड संख्या-481 वर्ष-2018, थाना-सीवान मुफस्सिल, जिला-सीवान

==========

1. दिनेश कुमार सिंह, पिता- डॉ. वीरेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी- ब्रह्मस्थान के पास परौली, जिला-सीवान
2. छोटन कुशवाह उर्फ अजय कुमार, पिता- सुदर्शन प्रसाद, निवासी ग्राम-पकरी बंगाली, जिला-सीवान
3. बच्चा कुशवाह उर्फ विजय कुमार पिता- सुदर्शन प्रसाद निवासी गांव - पकरी बंगाली, जिला - सिवान
4. सुभाष कुमार सिंह पिता- बिंद्याचल सिंह, निवासी पूरब टोला, बेनसूर बुजुर्ग, जिला-सीवान
5. डॉ. शरद चौधरी उर्फ डॉ. शरद कुमार पिता- शंकर चौधरी, निवासी- विजय हाता, जिला-सीवान

..... अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. फलदार शर्मा, पिता- स्व. शिवाजी शर्मा, निवासी ग्राम-उफई रसूलपुर, थाना-मुफस्सिल, जिला-सीवान

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री मुकेश कांत, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से : श्री

==========

वर्तमान अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14 (ए) 1) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, सीवान द्वारा सीवान मुफस्सिल महादेवा पीएस केस संख्या 481/2018 के संबंध में पारित दिनांक 15.11.2019 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 147, 148,149, 323, 324, 325, 304, 504, 341, 342 और 379 और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं 3(i)(r), 3(2)(va) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि लोहार जाति से संबंधित सूचनाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 1052/2021 सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में कहा गया है, इस प्रकार वह एससी/एसटी अधिनियम के तहत सुरक्षा के लिए योग्य नहीं है।

डॉ. दिनेश कुमार सिंह के खिलाफ धारा 304 आईपीसी के तहत चिकित्सा लापरवाही का आरोप एफआईआर दर्ज करने से पहले चिकित्सा विशेषज्ञ की राय प्राप्त किए बिना लगाया गया था, जैसा कि एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय सिद्धांत के अनुसार है जैसा कि (एआईआर 2005 एससी 3180 जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य) में बताया गया है।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने आक्रामक रूप से काम किया, अपीलकर्ता के क्लिनिक में तोड़फोड़ की, जबकि स्वतंत्र गवाहों और सीसीटीवी फुटेज से भी इस बात के समर्थन में साक्ष्य मिले हैं।

माना गया कि, निस्संदेह सूचक लोहार जाति से संबंधित है और उसे और उसके कुछ रिश्तेदारों को पीड़ित बताया गया है, इसलिए, सुनील कुमार राय (सुप्रा) के उपर्युक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर,

तथाकथित पीड़ित एससी/एसटी की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि वे ओबीसी की श्रेणी में आते हैं और धारा 3(आई)(आर) और 3(2)(वीए) के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित करने के लिए, पीड़ित एससी या एसटी से संबंधित होना चाहिए, इसलिए, इस पहलू पर उक्त अपराधों का संज्ञान एससी/एससी अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है और जहां तक आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध का संबंध है, रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि जांच अधिकारी ने चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप के संबंध में चिकित्सकीय विशेषज्ञों से कोई राय ली थी।

अपीलकर्ता सं.-1 के खिलाफ मुखबिर के भतीजे की मौत के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और यह जैकब मैथ्यू (सुप्रा) के उपरोक्त संदर्भित फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का भी उल्लंघन है और केस डायरी में उपलब्ध सामग्रियों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष आक्रामक था और उसने अपीलकर्ता नंबर 1 के क्लिनिक में उत्पात मचाया और यदि अपीलकर्ताओं पर कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और साथ ही, न्याय के उद्देश्यों को भी पराजित करेगा।

तदनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया है और विवादित आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है, इसलिए इसे अपास्त किया जाता है और बाद की कार्यवाही, यदि कोई हो, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा विवादित आदेश पारित करने के बाद उत्पन्न हुई है, तो उसे भी अपास्त किया जाएगा।

अपील की अनुमति।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक आदेश

22-04-2024 1. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मुकेश कांत को सुना गया। राज्य और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. यह तत्कालिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14(ए)1) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, सीवान द्वारा सीवान मुफस्सिल महादेवा थाना मामला संख्या- 481/2018 के संबंध में पारित दिनांक 15.11.2019 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 304, 504, 341, 342 और 379 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(2)(va) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीड़ित द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने उसके जाति नाम लोहार का उपयोग करके उसे गाली दी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या- 1052/2021 में सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य शीर्षक से पारित अपने फैसले में की गई टिप्पणी के अनुसार, बिहार में लोहार जाति ओबीसी के अंतर्गत शामिल है और वर्तमान में लोहार जाति एससी या एसटी के दायरे में नहीं

आती है और इस संबंध में फैसले के पैराग्राफ 24 का अवलोकन किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपित आदेश द्वारा, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध के साथ-साथ आईपीसी के अन्य अपराधों का संज्ञान लिया है और आरोप के अनुसार, मृतक लड़के को चिकित्सा प्रदान करते समय अपीलकर्ता नंबर 1, डॉ. दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गई चिकित्सकीय लापरवाही के कारण सूचक के भतीजे की मृत्यु हो गई, लेकिन यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप के संबंध में भा.दं.वि की धारा 304 के तहत आने वाले अपराध के संबंध में डॉक्टर को फंसाने से पहले, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले डॉक्टरों के पैनल से चिकित्सा विशेषज्ञ की राय लेना पुलिस का दायित्व है और इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (आप.) संख्या 144-145/2004, (एआईआर 2005 एससी 3180) में पारित फैसले में प्रतिपादित सिद्धांत, जिसका शीर्षक जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य है, का अवलोकन किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वास्तव में अभियोजन पक्ष आक्रामक था और उन्होंने स्वयं अपीलकर्ता संख्या-1 के क्लिनिक में तोड़फोड़ की और क्लिनिक में रखे सामान, फर्नीचर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को नुकसान पहुंचाया और इस संबंध में, कंडिका 45 और 46 में कुछ स्वतंत्र गवाहों के बयान प्रासंगिक हैं और केस डायरी में सीसीटीवी फुटेज का विवरण भी है जो अभियोजन पक्ष द्वारा की गई शरारत को दर्शाता है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, विवादित आदेश और केस डायरी का अवलोकन किया गया तथा माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा गया।

5. यह अदालत अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों में तथ्य पाती है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि सूचक लोहार जाति से है और वह और उसके कुछ रिश्तेदार को पीड़ित कहा गया है, इसलिए, सुनील कुमार राय (उपरोक्त) के उपर्युक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर, तथाकथित पीड़ित एससी/एसटी की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि वे ओबीसी की श्रेणी में आते हैं और धारा 3(i)(r) और 3(2)(va) के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित करने के लिए, जिसका संज्ञान विद्वान ट्रायल कोर्ट ने लिया है, पीड़ित एससी या एसटी में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए, इसलिए, इस पहलू पर उक्त अपराधों का संज्ञान एससी/एससी अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है और जहां तक भा.द.वि की धारा 304 के तहत अपराध का संबंध है, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है जो यह दिखाए की जाँच अधिकारी जैकब मैथ्यू (उपरोक्त) के उपर्युक्त फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत का भी उल्लंघन है और केस डायरी में उपलब्ध सामग्रियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष आक्रामक था और उसने अपीलकर्ता सं.1 क्लिनिक में शरारत की और यदि अपीलकर्ताओं को कथित अपराधों के लिए ट्रायल पर रखा जाता है तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और साथ ही, न्याय के उद्देश्यों को भी पराजित करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया है और विवादित आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है तथा बाद की

कार्यवाही, यदि कोई हो, विद्वान परीक्षण न्यायालय में आपत्तिजनक आदेश पारित होने के बाद उत्पन्न हुई है, तो उसे भी खारिज किया जाता है।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।